

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, धारा - 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए जाने के लिए]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड  
अधिसूचना सं. 87/2020 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवंबर, 2020

सा.का.नि..... (अ) :- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 12) की धारा 168 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विनियम, 2017 के नियम 45 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, आयुक्त, बोर्ड के अनुमोदन के साथ जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारिषित मालो या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालो के संबंध में प्ररूप **जीएसटी आईटीसी-04** में घोषणा करने हेतु समय सीमा एतदद्वारा नवंबर, 2020 के 30 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. इस अधिसूचना को अक्टूबर, 2020 के 25 वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा.सं. सी बी ई सी 20/06/04/2020-जी एस टी]

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक, भारत सरकार